

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना-8 / गठन / 138 / 2017 / नोटिफिकेशन नं. 7160

राँची, दिनांक - 20/11/17

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम-2007, 2012) की धारा-3 की उपधारा-(1), (2) धारा-4, 5, 6 एवं 8 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल रामगढ़ जिला अन्तर्गत पतरातु अंचल के सौंदा राजस्व ग्राम की मूल जनसंख्या-32899 होने के फलस्वरूप संक्रमणशील शहरी क्षेत्र (सौंदा नगर पंचायत) के रूप में घोषित करने संबंधी "प्रारूप आदेश" निर्गत करना चाहते हैं।

इससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के सूचनार्थ एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है कि इस अधिसूचना के "झारखण्ड गजट" में प्रकाशन के 30 (तीस) दिनों के अन्दर सौंदा नगर पंचायत के गठन के प्रस्ताव/प्रारूप पर आपत्ति एवं सुझाव उपायुक्त, रामगढ़ के कार्यालय में समर्पित कर सकते हैं।

उपर्युक्त अवधि के दौरान उपायुक्त, रामगढ़ के कार्यालय में प्राप्त आपत्तियों/सुझावों को झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा-5 की उपधारा-(2) के अधीन उपायुक्त, रामगढ़ द्वारा विचार करते हुए उनके निष्पादन हेतु आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

प्रारूप आदेश

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम-07, 2012) की धारा-3 की उपधारा-(1), (2) धारा-4, 5, 6 एवं 8 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ रामगढ़ जिला अन्तर्गत पतरातु अंचल के सौंदा राजस्व ग्राम (जनसंख्या सहित अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न) को मिलाकर संक्रमणशील शहरी क्षेत्र (सौंदा नगर पंचायत) के रूप में घोषित करते हैं।

झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से,

(अरुण कुमार सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव।

राँची, दिनांक - 20/11/17

नोटिफिकेशन नं. 7160

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं राजकीय गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, नगर विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे नगर पंचायत क्षेत्र के गठन की आशयित अधिसूचना कम से कम दो प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित कराना सुनिश्चित करेंगे, जिनमें से एक समाचार पत्र संबंधित क्षेत्र की जनभाषा में हो, जो वहाँ के निवासियों के लिए बोधगम्य हो।

2. प्रकाशनोपरान्त अधिसूचना की 300 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक—8/गठन/138/2017/न०वि०आ० 7160 राँची, दिनांक—20/11/12

प्रतिलिपि:—महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

✓
(9.11.17)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक—8/गठन/138/2017/न०वि०आ० 7160 राँची, दिनांक—20/11/12

प्रतिलिपि:—माननीय मंत्री नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/सभी प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष, झारखण्ड, राँची/प्रमण्डलीय आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल/उपायुक्त, रामगढ़/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, रामगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

६२

④

✓
(9.11.17)

सरकार के प्रधान सचिव।

अनुलग्नक-I

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

सौंदा नगर पंचायत का गठन

उपायुक्त, रामगढ़ के पत्रांक-1134 / न०प०, दि०-02.11.2017 द्वारा प्राप्त
~~3/160
20/11/17~~ प्रस्ताव के आलोक में रामगढ़ जिला अन्तर्गत सौंदा नगर पंचायत में सम्मिलित होने वाले राजस्व ग्रामों की सूची निम्नवत है:-

पंचायत का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	थाना संख्या	जनसंख्या (वर्ष 2011 के अनुसार)	जनसंख्या घनत्व
सौंदा नगर पंचायत	सौंदा	22	32899	400

चितरपुर नगर पंचायत एक झलक में :-

1.	सौंदा नगर पंचायत की कुल जनसंख्या	32899 व्यक्ति
2.	जनसंख्या का घनत्व	400 प्रति वर्ग कि.मी.।
3.	सौंदा नगर पंचायत का क्षेत्रफल	3.4457 वर्ग कि.मी.।

१०
१५

~~3/160
19/11/17~~
 (प्रधान सचिव)
 नगर विकास एवं आवास विभाग।

545